महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर–334004 (राजस्थान) भारत
NH-15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष / Phone:0151-2212044 फैक्स / Fax:2212042 ईमेल / E-mail: registrar@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक :– प.03(01-VII)मगंसिंविबी / संस्था / 2017 / 37839 दिनांक :– 18.01.2017

विज्ञापन संख्या 04 / 2017

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किए जाते हैं। कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकती है) का विवरण निम्नानुसार है :–

पदों की संख्या	सामान्य पद				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
36	**14**	**5**	**0**	**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**7**	**1**	**0**	**0**
उक्त पदों में से अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामान्य 1 पद बैकलॉग का सम्मिलित हैं।																
दण्डवत आरक्षण :– भूतपूर्व सैनिक–04 पद, उत्कृष्ट खिलाड़ी–01 पद, विशेष योग्यजन–02 (B/LV-1, HI-1) पद																

नोट :– ऑनलाईन आवेदन–पत्र में कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन एवं उसकी अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ध्यान रहे की गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्त अभ्यर्थियों को परीक्षा की अनुमति निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) होगी।

1. कनिष्ठ लिपिक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता / अर्हता :–

A. Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent examination.

And

B. “O” or higher level Certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronic, government of India.

Or

Computer operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer software (DPCS) certificate organized under national State Council of Vocational Training Scheme.

Or

Diploma/Certificate in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India or from an institution recognized by the Government.

Or

Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government.

Or

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RS-CIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited,"

उक्त पद हेतु प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता / अर्हता ऑनलाईन आवेदन–पत्र की अंतिम दिनांक 08.03.2017 तक प्राप्त होना आवश्यक है।

2. कनिष्ठ लिपिक पद हेतु प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :–

Phase-I

कनिष्ठ लिपिक पद हेतु 100 अंक की लिखित परीक्षा बहुवैकल्पिक प्रश्न–पत्र में होगी, जिसमें 1–1 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का एक तिहाई (1/3) अंक काटा जाएगा। परीक्षा अवधि 2 घण्टे की होगी। प्रश्न पत्र तीन भागों में विभाजित होगा जिसका पाठ्यक्रम एवं पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार है :–

भाग	शीर्षक	पाठ्यक्रम	प्रश्नों की संख्या
(अ)	सामान्य ज्ञान (विशेषकर राजस्थान के सन्दर्भ में)	समसामयिक घटनाएँ (प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर की), भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, कृषि एवं आर्थिक विकास, इतिहास एवं संस्कृति, कम्प्यूटर ज्ञान, गणित एवं तर्कशक्ति आदि।	50
(ब)	सामान्य हिन्दी	सीनियर सैकेण्डरी स्तर	25
(स)	सामान्य अंग्रेजी	सीनियर सैकेण्डरी स्तर	25

कनिष्ठ लिपिक पद हेतु विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के **तीन गुने** के अध्यधीन लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 % अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से वरीयता क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी कम्प्यूटर टाइप टेस्ट हेतु पात्र होंगे। तथापि वे समस्त अभ्यर्थी भी कम्प्यूटर टाइप टेस्ट के लिए पात्र होंगे जो लिखित परीक्षा की निर्धारित वरीयता में अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करते हैं। वरीयता सूची सामान्य एवं आरक्षित वर्ग की पृथक–पृथक तैयार की जाएगी।

Phase-II

हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाइप टेस्ट 10–10 मिनट का कुल 50 अंक (25 हिन्दी + 25 अंग्रेजी) का होगा। कम्प्यूटर टाइप टेस्ट में हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईप टेस्ट में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों में पृथक–पृथक **न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक** आवश्यक है। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को उनके द्वारा Phase-I में प्राप्त अंकों का औसत प्रदान किया जाएगा।

कनिष्ठ लिपिक पद हेतु लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टाइप टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में से कुल पूर्णांक 150 में से प्राप्तांकों के आधार पर सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की वरीयता सूची (Merit List) पृथक–पृथक तैयार की जाएगी। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप सम्बन्धित श्रेणी के उन्हीं अभ्यर्थियों को वरीयता क्रमानुसार नियुक्ति प्रदान करने हेतु चयन समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी, जो अर्हता शर्तों के अनुसार अंतिम रूप से पात्र पाये जाएंगे।

3. रनिंग पे–बैण्ड :– रूपये 5200–20200 ग्रेड–पे रू. 2400/–

4. कनिष्ठ लिपिक पद हेतु आयु :–

आवेदक आवेदन की अंतिम दिनांक 08.03.2017 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष से अधिक का नहीं हुआ हो। अधिकतम आयु सीमा में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार निम्न प्रकार छूट प्रदत्त होगी :–

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
2. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामले में 10 वर्ष की छूट होगी।
3. सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।
4. भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।
5. निःशक्तजन श्रेणी के सामान्य अभ्यर्थियों को 10 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 13 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 15 वर्ष की छूट देय होगी।
6. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के स्थाई कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

नोट :– (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non-Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) उक्त प्रावधान में दिये गए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट से संबंधी प्रावधानों में तत्संबंधी आरक्षित वर्गों के वर्गीकरण की परिवर्तनीय स्थिति में नियमानुसार छूट देय होगी। यदि किसी वर्ग में पद आरक्षित नहीं हुए हो तो उस वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।

5. नियुक्ति के लिए अयोग्यता :–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से तभी छूट दी जा सकती है यदि विश्वविद्यालय प्रबन्धन संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से तभी छूट दी जा सकती है यदि विश्वविद्यालय प्रबन्धन संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक जीवित संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
   परन्तु दो से अधिक संतान वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती।
   परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
   परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जावेगी।
4. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

6. परीक्षा का माह एवं दिनांक :–

परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी जाएगी जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgsubikaner.ac.in पर भी देखा जा सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

7. परीक्षा शुल्क :–

1. सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आवेदकों हेतु 500/– रू.।
2. समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु 250/– रू.।

8. अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में :–

सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हो या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर अनुमति प्राप्त कर आवेदन करना चाहिये। यदि नियोक्ता द्वारा विश्वविद्यालय को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

9. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिए :–

1. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार निःशक्तता से संबंधित अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :–
   1. B/LV (Blindness/Low vision)
   2. HI (Hearing Impairment)
   3. LD/CP (Locomotor Disability and Cerebral Palsy)

   ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी विशेष योग्यजन के संबंध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 2(1)(b) के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण–पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजनों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण–पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

नोट :–

(1) विशेष योग्यजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

(2) उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) विशेष योग्यजन आवेदक On line application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेष योग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य अंकित करें।

10. उत्कृष्ट खिलाड़ी के पद हेतु :–

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 15.03.2013 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

<u>उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान :–</u> कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 15.03.2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार 'उत्कृष्ट खिलाड़ियों' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं, राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने :–

1. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेन्ट में व्यक्तिगत स्पर्धा या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

11. समस्त अभ्यर्थियों हेतु विशेष सूचना :–

1. भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी व निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् जिस वर्ग (SC/ST/OBC/GEN) का अभ्यर्थी होगा, उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
2. भूतपूर्व सैनिक :–

   (1) भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है, अन्यथा उसे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

   (2) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
3. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Category Wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

   A. स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। पिछडी जाति की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
4. अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जाएंगे। राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।

5. अ.जा/अ.ज.जा के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके लिए आरक्षित पदों को सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा एवं राज्य सरकार के नियमानुसार अग्रणीत किया जाएगा। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी व भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।
6. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में विश्वविद्यालय द्वारा कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकती है। इसके लिए अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
7. उक्त पदों पर चयन उपरान्त प्रारम्भ में प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में दो वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राज्य सरकार/विश्वविद्यालय सेवा नियमों में प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद का वेतन बैण्ड, ग्रेड पे एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में राजकीय विभागों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/बोर्डो/स्थानीय निकायों/संस्थाओं की नियमित सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के पत्र दिनांक 03.01.2012 के अनुसार पूर्व पद पर मिल रहे वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा।
8. उक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में, किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि नियुक्ति–पत्र जारी होने के पश्चात् भी, अभ्यर्थी को प्रदत्त/जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र–व्यवहार को संशोधित, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
9. उक्त पद पर भर्ती के लिए छँटनी (short listing) हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारण किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
10. विश्वविद्यालय में भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर राज्य सरकार के नियमानुसार दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।
11. भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आरक्षण संबंधी नियमों (विशेष पिछड़ा वर्ग सहित) **में** राज्य सरकार द्वारा संशोधन/परिवर्तन किये जाने पर तत्संबंधी नियम लागू होंगे।

12. **समस्त अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश :–**

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों का अध्ययन कर लें।
2. **ऑनलाइन आवेदन–पत्र निर्धारित तिथि 23.01.2017 से 08.03.2017 रात्रि 12.00 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे।**
3. आवेदक ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएँ सम्बन्धित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए परीक्षा में पूर्णतः अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा।
4. प्रार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जाँच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना सत्यापन के समय असत्य पाई जाती है या वह अन्य किसी कारण से अपात्र पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाएगा।
5. जिन आवेदकों के ऑन लाईन आवेदन पत्र अंतिम दिनांक तक पूर्ण सूचना सहित प्राप्त (Submit) होगें, ऐसे आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां विश्वविद्यालय द्वारा सही मान ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा आवेदकों की पात्रता जांच पृथक से की जाएगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटोप्रतियों के साथ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा उम्मीदवार के मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

6. प्रार्थी को परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेन, पेंसिल, प्रवेश–पत्र या विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित सामग्री ही परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति है।
7. परीक्षा कक्ष के भीतर मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशो का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित आवेदक के विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

13. **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :–**

1. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgsubikaner.ac.in पर भर्ती संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र भरने हेतु अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय वेबसाइट www.mgsubikaner.ac.in पर जाकर Advt. no. 04/2017 में Apply online for ldc exam 2017 लिंक का चयन करना होगा।
3. Apply online for ldc exam 2017 लिंक खुलने के पश्चात आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्टियां यथा– नाम, पिता का नाम, माता का नाम, श्रेणी, जन्मतिथि, पत्राचार का पता, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना आदि प्रविष्टियां पूर्ण करें।
4. आवेदन पत्र में वांछित समस्त प्रविष्टियां पूर्ण करने के पश्चात आवेदक Proceed for fees payment विकल्प पर क्लिक करें।
5. Proceed for fees payment पर क्लिक करने के बाद सिस्टम पर उपलब्ध आवेदन पत्र की प्रविष्टियों की जांच करने के पश्चात् अभ्यर्थी Make payment विकल्प पर क्लिक करें।
6. अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन व निर्धारित आवेदन शुल्क जमा होने के पश्चात आवेदन–पत्र क्रमांक (Application Id) आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा। यदि आवेदन–पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। सफलतापूर्वक आवेदन–पत्र जमा होने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन–पत्र का प्रिन्ट आउट लेकर भर्ती के आगामी चरण हेतु आवश्यक रूप से अपने पास सुरक्षित रख लेवें।
7. यदि अभ्यर्थी आवेदन–पत्र ई–मित्र के माध्यम से भरता है तो निर्धारित शुल्क ई–मित्र के माध्यम से ही जमा होगा।
8. यदि अभ्यर्थी स्वयं अपने सिस्टम से आवेदन–पत्र भरता है तो निर्धारित आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ई–वॉलेट अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवाया जाएगा।
9. आवेदन–पत्र दिनांक 08.03.2017 रात्रि 12:00 तक केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जाएगें।

कुलसचिव